

FORM - III
फर्द अहकाम
 (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सुमित्रा देवी बनाम मोहन सिंह आदि
 किस्म मुकदमा 212 आरटीए नम्बर 36 सन् 2019
 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मिल क्रम		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	--	---

6.19 प्रार्थीया सुमित्रा देवी पत्नि शंकर दास जाति खटीक निवासी
 केसरीसिंहपुर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री सतवीर कुमार ने प्रार्थना पत्र
 अंतर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।
 अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.07.2019
 को पेश हो।


3241
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

7/11/19 वकील फरीकन उपस्थित श्री मान PO साहब... अन्य कार्य में व्यस्त हैं
 हैं पत्रावली दिनांक 11/11/19 को पेश हो। *Karna*

11/7/19 प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित व गिरेफ्त
 किया कि प्रकरण में वादी का प्रतिवादी
 से राजीनामा हो चुका है। मूलवाद
 में राजीनामा की प्रति पेश की।
 प्रार्थीया आगे कोई कार्यवाही नहीं
 चाहती व प्रकरण को इसी स्टेज
 पर वापिस लेना चाहते हैं। वादी
 अधिवक्ता को सूना गया व
 पत्रावली का अवलोकन किया
 गया वादी अधिवक्ता द्वारा
 प्रार्थना पत्र नोटिस करने पर
 प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज
 किया जाता है। पत्रावली निर्णित
 होकर मूलवाद के साथ रसलगत हो

3241/11/19
 11/11/19 को पेश
 है *3241*
 नोटिस
(D.S. Bhatnagar)

प्रकारानुसार का
 राजीनामा हो गया
 है अर्थात् आगे कोई
 कार्यवाही नहीं चाहती
 Not press
 by
(Signature)



3241
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)